

अंतरराज्यीय परिषद

प्रारंभिक परीक्षा के लिये:

[अंतरराज्यीय परिषद](#), [संघवाद](#), [राज्यपाल](#), [वस्तु और सेवा कर](#), [सरकारिया आयोग](#), [कषेत्रीय परिषदें](#)

मुख्य परीक्षा के लिये:

अंतरराज्यीय परिषद और मुद्दे, [केंद्र-राज्य संबंध](#), भारत में संघवाद

[स्रोत: बजिनेस स्टैंडर्ड](#)

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने हाल ही में दो वर्षों के बाद [अंतरराज्यीय परिषद \(Inter-State Council- ISC\)](#) का पुनर्गठन (जसिका पूर्व में पुनर्गठन वर्ष 2022 में किया गया था) किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस परिषद में बेहतर [केंद्र-राज्य संबंधों](#) तथा [सहकारी संघवाद](#) के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है।

अंतरराज्यीय परिषद क्या है?

- **स्थापना:** ISC का गठन भारत में [केंद्र-राज्य और अंतरराज्यीय सहयोग को सुवर्धन बनाने के लिये किया गया था](#)।
 - इसकी स्थापना [संवधान के अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी](#), जो भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिये **ISC** स्थापित करने का अधिकार देता है।
 - [सरकारिया आयोग \(1988\)](#) ने ISC को एक स्थायी निकाय बनाने की सफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष **1990** में [राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से इसकी औपचारिक स्थापना हुई](#)।
- **ISC के कार्य:** यह राज्यों और संघ के साझा हितों के विषयों पर चर्चा करने के साथ नीतियों एवं कार्यों के समन्वय के लिये सफारिशें करती है।
 - ISC [नरिबाध शासन सुनिश्चित करने के लिये केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले मुद्दों की भी जांच करती है](#)।
- **परिषद की संरचना:** प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री (CM), वधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और वधानसभा नहीं रखने वाले केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल हैं। इसके अलावा [प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रपरिषद में कैबिनेट रैंक के छह मंत्री भी](#) ISC का हिस्सा होते हैं।
 - [राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के राज्यपाल](#) को ISC की बैठक में भाग लेने की अनुमति देने तथा अध्यक्ष को अन्य केंद्रीय मंत्रियों में से [स्थायी आमंत्रित सदस्यों को मनोनीत करने की अनुमति देने के लिये](#), राष्ट्रपति के आदेश को पहले वर्ष 1990 में तथा फरि 1996 में, दो बार संशोधित किया गया।
 - वर्ष 1996 में आयोजित इसकी दूसरी बैठक में [नरितर परामर्श और परिषद के विचारार्थ मामलों पर कार्रवाई के लिये एक स्थायी समिति गठित करने का नरिणय लिया](#)।
 - [तदनुसार गृहमंत्री की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति गठित की गई तथा परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया गया](#)।
- **सचिवालय:** [नई दलिली में अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय \(Inter-State Council Secretariat- ISCS\)](#) की स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी और इसका नेतृत्व [भारत सरकार के सचिव](#) करते हैं।
 - वर्ष **2011 से कषेत्रीय परिषदों** के सचिवीय कार्यों को ISCS को हस्तांतरित कर दिया गया है।
- **लाभ:** [ISC विचार-विमर्श के माध्यम से वकिसति नीतियों को अधिक सामाजिक वैधता मलिंगी](#), राज्यों के बीच स्वीकृत बिद्वेगी और टकराव कम होगा।
 - [ISC संघ और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखती है](#), जिससे किसी भी पक्ष का प्रभुत्व नहीं बढ़ता। यह सुनिश्चित करती है कि संघ के नरिणय [संवैधानिक ढाँचे और संघीय सिद्धांतों के अनुरूप हों](#), खासकर [वस्तु और सेवा कर \(GST\)](#) या [वमिद्रीकरण](#) जैसे सुधारों के संबंध में, जो संघ-राज्य संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं।

अन्य प्रमुख अंतरराज्यीय और केंद्र-राज्य निकाय

- **क्षेत्रीय परिषदें:** ये [राज्य पुनर्रगठन अधिनियम 1956](#) के तहत स्थापित वैधानिक निकाय हैं।
 - **पाँच क्षेत्रीय परिषदें** (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी) हैं। इनका उद्देश्य अंतरराज्यीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का नेतृत्व **केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं** तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री **बारी-बारी से उपाध्यक्ष** के रूप में कार्य करते हैं।
 - **पूर्वोत्तर क्षेत्र** के लिये एक अलग परिषद है, जिसे **पूर्वोत्तर परिषद** कहा जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1972 में **पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1972** के तहत की गई थी।
- **नदी जल विवाद न्यायाधिकरण:** ये न्यायाधिकरण [अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956](#) के तहत नदी जल के बँटवारे पर राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिये गठित किये गए हैं।
 - **अनुच्छेद 262** में प्रावधान है कि **संसद** कानून द्वारा किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नयितरण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत के न्यायनिरणयन के लिये उपबंध कर सकेगी।
- **वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद:** इसकी स्थापना **संवधान के अनुच्छेद 279A** के तहत की गई थी, यह एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में GST कार्यान्वयन से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर नरिणय लेने के लिये ज़िम्मेदार है।
 - इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राजस्व मंत्री और राज्य वित्त मंत्री शामिल होते हैं तथा नरिणय सर्वसम्मति के आधार पर लिये जाते हैं।
 - वर्ष 2016 में अपनी स्थापना के बाद से परिषद ने कर दरों और छूटों पर महत्त्वपूर्ण नरिणय लिये हैं, **सहकारी संघवाद** को बढ़ावा दिया है तथा भारत में व्यावसायिक परिचालन को सुव्यवस्थित किया है।

अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में चुनौतियाँ क्या हैं?

- **अनयिमति बैठकें:** अपने उद्देश्य के बावजूद ISC की अनयिमति बैठकों के लिये आलोचना की जाती रही है, वर्ष **1990** में इसकी स्थापना के बाद से इसकी **केवल 11 बार ही बैठकें हुई हैं**।
 - **प्रक्रिया के अनुसार वर्ष में कम-से-कम तीन बार बैठक होनी चाहिये, लेकिन अंतमि बैठक जुलाई 2016 में हुई थी।**
- **गैर-बाध्यकारी सफ़ारिशें:** ISC को अपनी **सलाहकारी और गैर-बाध्यकारी प्रकृति के कारण प्रमुख चुनौतियों** का सामना करना पड़ता है, जिससे विवादों को सुलझाने में इसका प्रभाव सीमित होने के साथ प्रभावी संघ-राज्य समन्वय में बाधा आती है।
 - इसके **व्यापक अधिदेश में प्रवर्तन प्राधिकार** का अभाव है, जिससे यह नरिणय लेने वाली संस्था के बजाय एक चर्चा मंच अधिक बन गई है।
 - इसके अतिरिक्त यह **सुनिश्चित करने के लिये कि सफ़ारिशों पर नज़र रखी जाए** और उनका कार्यान्वयन किया जाए, अक्सर **मज़बूत अनुवर्ती तंत्रों** का अभाव होता है, जिससे सारथक परिणामों के लिये अधिक संरचित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
- **राजनीतिक गतिशीलता:** राजनीतिक परिदृश्य ISC के कामकाज को प्रभावित कर सकता है। **केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक विचारधाराओं में मतभेद** विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति तक पहुँचने की परिषद की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।

ISC को प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु कनि सुधारों की आवश्यकता है?

- **अनुच्छेद 263 में संशोधन:** [पुंछी आयोग \(2010\)](#) ने अंतर-सरकारी संबंधों और संघीय चुनौतियों से निपटने के लिये ISC को एक विशेष निकाय बनाने पर जोर दिया।
 - अंतरराज्यीय और संघ-राज्य दोनों मुद्दों के समाधान के लिये **ISC के अधिदेश को मज़बूत करने के लिये अनुच्छेद 263** में संशोधन करने से परामर्शक तथा नरिणय लेने वाले मंच के रूप में इसकी भूमिका बढ़ सकती है।
- **नयिमति एवं समय पर बैठकें:** नयिमति बैठकों के लिये अनविरयता को पुनर्जीवित करने से चर्चाओं में नरितरता को बढ़ावा मल्लिगा तथा राज्यों को नीतगित सुझावों के लिये एक नयिमति मंच उपलब्ध होगा।
- **स्पष्ट एजेंडा और प्राथमिकताएँ:** प्रत्येक बैठक के लिये **स्पष्ट एजेंडा और प्राथमिकताएँ नरिधारित हों, जिसमें जल विवाद, बुनियादी ढाँचे के विकास तथा आर्थिक सहयोग** जैसे अंतरराज्यीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** ISC के भीतर संचार, डेटा साझाकरण और नरिणय लेने की प्रक्रियाओं को सुवधाजनक बनाने के लिये डिजिटल उपकरणों और प्लेटफॉर्मों का उपयोग करना चाहिये, जिससे इसे अधिक कुशल और उत्तरदायी बनाया जा सके।

नषिकर्ष

भारत के संघीय ढाँचे को सही मायने में मज़बूत करने के लिये, अंतरराज्यीय परिषद को **एकबड़े पैमाने पर सलाहकार निकाय से एक अधिक सक्रिय और सशक्त संस्था** में विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अधिदेश को बढ़ाने और नयिमति, परिणाम-संचालित बैठकें सुनिश्चित करने जैसे सुधार गहन सहयोग को बढ़ावा देने और केंद्र-राज्य संबंधों की जटिलताओं को हल करने में महत्त्वपूर्ण होंगे।

???????? ???? ?????:

प्रश्न: भारत में सहकारी संघवाद को बनाए रखने में अंतरराज्यीय परिषद की भूमिका और महत्त्व पर चर्चा कीजिये। केंद्र-राज्य मुद्दों के समाधान में यह

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

??????????:

प्रश्न 1. भारतीय राज्य-व्यवस्था में, नमिनलखिति में से कौन-सी अनविर्य वशिषता है, जो यह दर्शाती है कउसका स्वरूप संघीय है? (2021)

- (a) न्यायपालका की स्वतंत्रता सुरक्षति है ।
- (b) संघ की वधायिका में संघटक इकाइयों के नरिवाचति प्रतनिधि होते हैं ।
- (c) केन्द्रीय मंत्रमिडल में कषेत्रीय पार्टियों के नरिवाचति प्रतनिधि हो सकते हैं ।
- (d) मूल अधकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं ।

उत्तर: (a)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सी एक भारतीय संघराज्य पद्धतकी वशिषता नहीं है? (2017)

- (a) भारत में स्वतंत्र न्यायपालका है ।
- (b) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट वभाजन कया गया है ।
- (c) संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्य सभा में असमान प्रतनिधितिव दया गया है ।
- (d) यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमता का परणाम है ।

उत्तर: (d)

